

दिनांक : 11.11.2005

सेवा में,

श्रीमान् उपायुक्त महोदय,
गुडगांवा

विषय: मै0 फैशन एक्सप्रेस प्लाट नम्बर 100, उद्योग विहार, फेस-1, गुडगांवा के प्रबन्धक श्री गौरव ममिक द्वारा श्रमिकों को जान से मरवाने की धमकी दिए जाने तथा महिला श्रमिकों का Sexual Harassment करने सम्बन्धित शिकायत।

श्रीमान् जी,

प्रार्थीगण सादर निवेदन करते हैं :-

1. यह कि प्रार्थीगण मैसर्ज फैशन एक्सप्रेस, प्लाट नम्बर 100, उद्योग विहार, फेस-1, गुडगांवा में कार्यरत श्रमिक है।
2. यह कि उपरोक्त संस्थान के प्रबन्धकों द्वारा प्रार्थीगण को पिछले कई सालों से दीपावली के अवसर पर 20 प्रतिशत Ex-Gratia राशि दीपावली बोनस के रूप में व दीपावली गिफ्ट व मिठाई दी जाती रही है परन्तु इस बार दीपावली के अवसर पर प्रबन्धकों ने प्रार्थीगण को ना तो Ex-Gratia राशि ही दीपावली बोनस के रूप में दी और ना ही दीपावली गिफ्ट व मिठाई ही दी - जिस बारे प्रार्थीगण ने एक सामूहिक शिकायत दिनांक 09.11.2005 श्रम तथा समझौता अधिकारी, गुडगांव को दी हुई है और जिसके समाधान हेतु माननीय श्रम तथा समझौता अधिकारी ने दिनांक 14.11.2005 की तिथि निश्चित की हुई है।

3. यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रबन्धकों के खिलाफ बोनस सम्बन्धित शिकायत श्रम तथा समझौता अधिकारी को करने से प्रबन्धक बौखला गए है और इसी बौखलाहट के अन्तर्गत उन्होने प्रार्थीगण में हडकम्प मचाने की नियत से दिनांक 10.11.2005 को एक श्रमिक श्री जितेन्द्र भगत के खिलाफ दो डिजाईनरो श्री भरत व कुमार रूचिका से झूठी शिकायते लिखने को कहा तथा ऐसा ना करने पर उन्हें तुरन्त त्याग पत्र देने को कहा।
4. यह कि उपरोक्त घटना की सूचना उसी दिन अर्थात् दिनांक 10.11.2005 को जब प्रार्थीगण को मिली तो करीब दो बजे वे उपरोक्त विषय पर बातचीत करने कम्पनी मालिक श्री गौरव ममिक से मिलने उनके आफिस गए परन्तु श्री गौरव ममिक ने प्रार्थीगण की बात सुनने की बजाए उटला उन्ही पर आग बबूला हो गए और उन्हें माँ बहन की गन्दी-गन्दी गालियां निकालते हुए कहने लगे कि “मैं कम्पनी मालिक हूँ मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जो चाहूँ करूँगा, तुम मेरे सामने चिंटी हो, मैं जब चाहूँ तुम्हे मसलवा दूँगा, तुम मेरे खिलाफ शिकायतें करते हो, मैं तुम्हे गुण्डों से मरवा दूँगा”। इस पर कुछ महिला श्रमिकों ने श्री गौरव ममिक को गालियाँ ना निकालने को कहा तो श्री ममिक ने महिला श्रमिकों को कहा कि “मैं तुम्हारी पुंगी बजा दूँगा और गुण्डे बुला कर तुम्हे नंगा करके सारी कम्पनी में घुमा दूँगा।”
5. यह कि कम्पनी मालिक श्री गौरव ममिक के उपरोक्त व्यवहार से सभी श्रमिकों ने भय व आतंक का माहौल पैदा हो गया है तथा महिला श्रमिकों

के आत्म सम्मान को गहरी ठेस पहुंची है और उनमें अपनी सुरक्षा को लेकर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है।

6. यह कि कम्पनी प्रबन्धक प्रारम्भ से ही मजदूर विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और सैकड़ों श्रमिकों को गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल चुका है तथा सैकड़ों श्रमिकों के भविष्य निधि के पैसों का गबन कर चुके हैं।

उपरोक्त तथ्यों और विवरण के आधार पर जनाब से प्रार्थना है कि मामले में तुरन्त हस्तक्षेप किया जाए और दोषी श्री गौरव ममिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थीगण

प्रतिलिपि :

1. माननीय मुख्य मंत्री हरियाणा सरकार,
चण्डीगढ़।
2. श्रीमान् एस.पी. महोदय, गुडगांव।
3. श्रीमान् एस.एच.ओ. महोदय,
थाना उद्योग विहार, गुडगांव।
4. माननीय श्रम आयुक्त चण्डीगढ़।
5. उपश्रमायुक्त, गुडगांव ।
6. श्रम तथा समझौता अधिकारी, गुडगांव।

श्रीमान्
लारयन
गिरीश कुमार
25/11
नारायण सिंह
सुरेश कुमार
श्री 25/11/2011
सुरेश कुमार पंडित
25/11/2011

Basu
Narasimh
K. N. Sharma
Mukesh
M. Reddy
S. S.

W. H. ...
1911

...

...

...

...

...



...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...